पत्रांक– बि0प्र0सु0मि0सो0/विविध–06/2018 सो0 1209

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ. प्रतिमा
अपर मिशन निदेशक

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
गोपालगंज

पटना, दिनांक– 05/07/2019

विषयः– **बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन सृजित पदों पर नियोजित कार्यपालक सहायकों के स्थानांतरण के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अपने आदेश संख्या–60, दिनांक–29.06.2019 (जो ज्ञापांक–414, दिनांक–29.06.2019 से परिचारित है) का कृपया संकेत किया जाए जिसके द्वारा जिला समाहरणालय गोपालगंज एवं अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यपालक सहायकों को नए कार्यालयों में स्थानांतरित/पदस्थापित किया गया है ।

2– उक्त स्थानांतरण आदेश के अवलोकन से यह विदित हो रहा है कि लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम तथा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन सृजित पदों पर नियोजित किए गए कार्यपालक सहायकों का स्थानांतरण इन कार्यक्रमों के संचालन वाले कार्यालय से भिन्न कार्यालयों में भी किया गया है । उल्लेखनीय है कि लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम तथा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नियोजित किए गए कार्यपालक सहायकों को इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के सभी पहलूओं के बारे में भली–भांति प्रशिक्षित किया गया है और इनके स्थान पर किसी ऐसे कार्यपालक सहायक, जिन्हें इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन/संचालन का अनुभव नहीं है, को पदस्थापित कर देने से इन अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के सुगमतापूर्वक संचालन में कठिनाई उत्पन्न होगी । वैसे भी उक्त स्थानांतरण आदेश में कुछ ऐसे विभागों के कार्यपालक सहायकों का स्थानांतरण/पदस्थापन भी RTPS केन्द्रों एवं लोक शिकायत निवारण कार्यालयों में किया गया है जिनके मानदेय आदि का भुगतान अन्य विभागों के द्वारा किया जाता है ।

3– स्थानांतरण आदेश में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के जिस पत्रांक–1010, दिनांक–30.10.2012 का उल्लेख किया गया है उसका विषय ही लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए संविदा पर नियोजित कर्मियों के संबंध में है, और इसमें दिए गए निदेश का यह आशय नहीं है कि ऐसे कर्मियों को लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों में स्थानांतरित कर दिया जाए । ध्यातव्य हो कि मिशन कार्यालय के पत्रांक–141/DSC, दिनांक–31.07.2015 द्वारा संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों से एकरारनामा संपादित करने हेतु परिचारित प्रपत्र की कंडिका–6 में यह वर्णित है कि संविदा पर नियोजित व्यक्ति की सेवा सामान्यतः स्थानांतरणीय नहीं होगी ।

4– इस आलोक में लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम तथा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन नियोजित कार्यपालक सहायकों को किसी दूसरे विभाग के कार्यों के लिए पदस्थापित किया जाना उचित नहीं जान पड़ता है । बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ द्वारा भी ऐसे स्थानांतरण पर रोक लगाने का अनुरोध किया है । अतः अनुरोध है कि लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम एवं बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के सुगमतापूर्वक कार्य संपादन के लिए ऊपर वर्णित स्थानांतरण आदेश में शीघ्र यथावश्यक संशोधन करने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन

5/7/19

(डॉ. प्रतिमा)
अपर मिशन निदेशक

ज्ञापांक– बि0प्र0सु0मि0सो0/ विविध–06/2018 सो0– 1209, दिनांक– 05/07/2019

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

5/7/19

अपर मिशन निदेशक

D:\SANJAY- 19\AMD.docx